

भारतीय महिला सशक्तिकरण पर एक संक्षिप्त अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षाशास्त्र विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

शोध सार

महिला सशक्तिकरण बहस का नहीं बल्कि जागरुकता का विषय है। पहले महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलता था। लेकिन उत्तर-वैदिक और महाकाव्य युग के दौरान उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। बीसवीं सदी की शुरुआत (राष्ट्रीय आंदोलन) से उनकी स्थिति धीरे-धीरे और धीरे-धीरे बदली गई है। इस संबंध में, हमने ब्रिटिश लोगों के नाम का उल्लेख किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने पुरुषों के साथ महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति की सुधार की मांग की। आज हमने महिलाओं को सभी क्षेत्रों में सम्मानजनक पदों पर आसीन होते देखा है। फिर भी, उन्होंने समाज को कुछ भेदभाव और उत्पीड़न से बिल्कुल मुक्त नहीं किया है। कुछ संख्या में महिलाएँ अपनी क्षमताएँ स्थापित करने में सक्षम हुई हैं। इसलिए, हर किसी को महिलाओं की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए सावधान रहना चाहिए।

मुख्य शब्द महिला सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधान, भेदभाव, निर्भरता, संरक्षकता।

प्रस्तावना

भारत में महिलाएं अब भारत में महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी प्रावधान के अनुसार पुरुषों के साथ समानता की एक अनूठी स्थिति का आनंद मिलता है। लेकिन भारतीय महिलाओं ने मौजूदा मुकाम हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। सबसे पहले, भारत में लैंगिक असमानता का पता महाभारत के ऐतिहासिक दिनों से लगाया जा सकता है जब द्रौपदी को उसके पति ने एक वस्तु के रूप में पासे पर रख दिया था। इतिहास गवाह है कि पुरुषों को खुश करने के लिए महिलाओं को निजी और सार्वजनिक

दोनों जगहों पर नचाया जाता था। दूसरे, भारतीय समाज में पिछले कुछ वर्षों पहले भी महिला हमेशा परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती थी। तीसरा, किसी महिला को अपने ससुराल के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में ऊँची आवाज में बोलने की अनुमति नहीं थी। परिवार में हर दोष की जिम्मेदारी उन्हीं पर जाती थी। एक विधवा के रूप में परिवार के पुरुष सदस्यों पर उसकी निर्भरता और भी अधिक बढ़ जाती है। कई सामाजिक गतिविधियों में उसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर, समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसकी बहुत कम हिस्सेदारी है।

बीसवीं सदी की शुरुआत में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, जो महिलाओं की सभी विकलांगताओं को दूर करने के पक्ष में थे। उसी समय, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कई अन्य समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, सती की कुप्रथा को वापस लेने, बहुविवाह को हटाने आदि पर जोर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन और विभिन्न सुधार आंदोलनों ने मार्ग प्रशस्त किया। महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग 50 वां हिस्सा हैं, लेकिन भारत में लिंग अनुपात अनुपातहीन है, जिससे महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में कम है। जहां तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, उन्हें सभी जगहों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। पश्चिमी समाज में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार और दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत में आज भी लैंगिक विकलांगताएं और भेदभाव पाए जाते हैं। विडम्बनापूर्ण स्थिति यह रही कि उन्हें कभी देवी तो कभी केवल दासी के रूप में देखा जाने लगा।

सती अधिनियम (उन्मूलन) 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल प्रतिबंध अधिनियम, 1929, महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 आदि के बारे में लिख सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माता और राष्ट्रीय नेताओं ने पुरुषों के साथ महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति को मान्यता दी। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने विवाह की आयु निर्धारित की है, एक विवाह और मां की संरक्षकता का प्रावधान किया है और विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह के विघटन की अनुमति दी है।

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अविवाहित महिला, विधवा या स्वस्थ दिमाग वाली तलाकशुदा महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है।

1961 का दहेज निषेध अधिनियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो दहेज देता है, लेता है या देने या लेने के लिए उकसाता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारत का संविधान लिंग समानता की गारंटी देता है और वास्तव में महिलाओं को विशेष अधिकार देता है। इन्हें संविधान के तीन अनुच्छेदों में पाया जा सकता है।

अनुच्छेद 14 कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 में घोषणा की गई है कि सरकार लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी।

अनुच्छेद 15 (3) एक विशेष प्रावधान करता है जो राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 42 राज्य को काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।

संविधान अनुच्छेद 15 (ए), (ई) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य मानता है। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण सशक्तिकरण की अवधारणा शक्ति से प्रवाहित होती है। यह वहां निहित है जहां इसका अस्तित्व नहीं है या अपर्याप्त रूप से मौजूद है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ होगा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाना, सकारात्मक सम्मान देना ताकि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें और वे विकास गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम हो सकें। सशक्त महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए।

साहित्य समीक्षा

भारत में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1985) और राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1993) ने महिलाओं को सीटों के आरक्षण (33%) के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं, जबकि मार्च 2002 की एचआरडी रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं के उच्चतम प्रतिशत वाले विधानमंडल हैं।

स्वीडन 42.7 डेनमार्क 38%, फाइनलैंड 36% और आइसलैंड 34.9% भारत में “नया पंचायती राज” कम से कम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास का हिस्सा है। भारत सरकार ने महिलाओं को समान अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकार उपकरणों की पुष्टि की है।

(1993), मेक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजीज (1985), बीजिंग डिक्लेरेशन और साथ ही प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995) और ऐसे अन्य उपकरण। 2001 का वर्ष महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष के दौरान, एक ऐतिहासिक दस्तावेज अपनाया गया है, ‘महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति।’ महिलाओं के लाभार्थियों के लिए, सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को अपनाया है यानी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फंड (1993), खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी), सूचना और जन शिक्षा (आईएमएफ) आदि।

पिछले कुछ वर्षों में सबसे सकारात्मक विकास पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी रही है। ग्राम परिषद स्तर पर कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में पूरे भारत में कुल 20,56,882 लेस गांव पंचायत सदस्य हैं, इनमें से महिला सदस्यों की संख्या 8,38,244 (40.48%) है, जबकि कुल आंचलिक पंचायत सदस्यों की संख्या 1,09,324 है। महिला सदस्यों की संख्या 47,455, (40.41%) है और कुल जिला परिषद सदस्यों की संख्या 11,708 है, इसमें से महिला सदस्यों की संख्या 4,923 (42.05%) है। केंद्र और राज्य स्तर पर भी महिलाएं उत्तरोत्तर बदलाव ला रही हैं। आज हमने महिला मुख्यमंत्री, महिला राष्ट्रपति, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, स्थापित व्यवसायी आदि देखे हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण हैं उदाहरण

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाजपा नेता सुषमा स्वराज श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शिला डेक्सिट, मायावती, सोनिया गांधी, बिंदा करात, नजमा हेपतुल्ला, इंदिरा नुये, मोमता बेनार्जी, 'नर्मदा बसाओ' नेता मेधापाटेकर, इंडियन आयरन वुमन, पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी आदि। महिलाएं बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मानव विकास के मुद्दों में भी शामिल हैं और लिंग समानता। उनमें से कई कुटीर उत्पादों-अचार, सिलाई, कढ़ाई आदि के निर्माण और विपणन में चले गए हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को इन दिनों किसी देश की प्रगति के लिए अपरिहार्य माना जा रहा है। इसलिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा राजनीतिक विचारकों, सामाजिक विचारकों और सुधारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण के मुख्य कारण

आज पूरे भारत में महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत गरीब पाई जाती हैं। कुछ महिलाएँ सेवाओं और अन्य गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसलिए, उन्हें पुरुषों के बराबर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है। हमने भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं पर ध्यान दिया है। लेकिन भारत में महिलाओं के साथ समाज के हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वह सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी हो, शिक्षा तक पहुंच हो, और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी हो। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम साक्षर पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में पुरुषों में साक्षरता की दर 76% पाई गई जबकि महिलाओं में यह केवल 54% है। अतः महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनमें शिक्षा बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएँ काम करने में बहुत कमजोर हैं। वे खाना तो कम खाते हैं लेकिन काम ज्यादा करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर महिलाओं को मजबूत बनाना है। दूसरी

समस्या कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न है। बलात्कार, लड़की का अपहरण, दहेज उत्पीड़न आदि के बहुत सारे मामले हैं। इन कारणों से, उन्हें स्वयं की रक्षा करने और अपनी शुद्धता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिलाएं स्वयं को सशक्त बनाने में मदद नहीं करतीं। नारीवादी गरीबी को कम करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। बलात्कार, लड़की का अपहरण, दहेज उत्पीड़न आदि के बहुत सारे मामले हैं। इन कारणों से, उन्हें स्वयं की रक्षा करने और अपनी शुद्धता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है।

सन्दर्भ

- “केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं” (पीडीएफ)। 31 मार्च 2022 को मूल सेसंग्रहीत (पीडीएफ)
- “व्यय प्रोफाइल 2022–2023। केंद्रीय बजट 2022”(पीडीएफ)। फरवरी 2022.
- “केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या हैं”। बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया। 8 अप्रैल 2022 को लिया गया।
- :ए बी सेठ, दिलाशा (2 फरवरी 2021)। “बजट: युक्तिसंगतता की चर्चा के बावजूद केंद्रीय योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि देखी गई”। बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया। 10 अप्रैल 2022को पुनःप्राप्त.
- गुप्ता, मौसमी दासय नायर, रेम्या (3 फरवरी 2021)। “‘पैसा दुर्लभ है’ – मोदी सरकार लगभग 40 योजनाओं को बंद करने की तैयारी में है जो ‘प्रासंगिकता खो चुकी हैं’” . दिप्रिंट . 8 अप्रैल 2022 को लिया गया .
- “केंद्रीय बजट 2022–23: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या आधी कर दी गई”। डाउन टू अर्थ. 1 फरवरी 2022। 9 अप्रैल 2022को पुनःप्राप्त.

- 'ऊपर जायें:ए बी सी डी ई एफ जी एच "परिणाम बजट 2022–2023। आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क 2022–23 (प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं)"(पीडीएफ)। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। फरवरी 2022। 31 मार्च 2022 को मूल सेसंग्रहीत(पीडीएफ)। 9 अप्रैल 2022को पुनःप्राप्त.
- "केंद्रीय बजट 2019–20 विश्लेषण"। पीआरएस विधायी अनुसंधान। 5 जुलाई 2019। 19 अप्रैल 2022 को पुनःप्राप्त .
- "केंद्रीय बजट 2021–22 विश्लेषण"। पीआरएस विधायी अनुसंधान। 1 फरवरी 2021। 19 अप्रैल 2022 को पुनःप्राप्त
- ब्राइट, प्रीतम सिंह (सं.)——प्रतियोगिता पुनश्चर्या, अगस्त, 2010, नई दिल्ली।
- हसनैन, नदीम——इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2004.नई दिल्ली।
- कर, पी. के——इंडियन सोसाइटी, कल्याणी पब्लिशर्स, 2000, कटक।
- किदवई, ए. आर——(संपादित करें)उच्च शिक्षा, मुद्दे और चुनौतियाँ, विवा बुक्स, 2010, नई दिल्ली)